राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

RCSE

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2700447 E-mail: rcse.ict@gmail.com

क्रमांक : रामाशिप/जय/Dig.Lit/Click/F-945/2017/5845 दिनांक: 13/9/2017

जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.) एवं पदेन
जिला परियोजना समन्वयक,
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान,
समस्त जिले।

विषय :– *'CLICK'* योजना क्रियान्वयन, डाटा फिडिंग व भुगतान के संबंध में।

उपर्युक्त संदर्भानुसार विषय में लेख है कि अद्यतन रिपोर्ट अनुसार *'CLICK'* योजना क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के 590 विद्यालयों द्वारा *MoU* संपादित कर संचालन शुरु किया गया है परन्तु योजना से संबंधित पोर्टल **click.rkcl.in** पर समस्त पंजीकृत विद्यार्थियों की फिडिंग संबंधित आई.टी. ज्ञान केन्द्र द्वारा पूर्ण नहीं की जा रही है क्योंकि कतिपय संस्थाओं द्वारा आई.टी. ज्ञान केन्द्र को भुगतान नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। अतः निर्देशित किया जाता है कि पंजीकृत विद्यार्थियों से संबंधित कोर्स के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान *MoU* की बिन्दु संख्या 2.1 (ड़) ***"विद्यार्थियों से शुल्क का संग्रहण एस.डी.एम.सी. द्वारा ही किया जावेगा। शुल्क संग्रहण प्रतिमाह की 10 तारीख तक किया जाकर, 15 तारीख तक आर.के.सी.एल. के आई.टी. ज्ञान केन्द्र को अग्रिम आधार पर भुगतान किया जाएगा। आई.टी. ज्ञान केन्द्र को सीधा भुगतान दायित्व एस.डी.एम.सी. का रहेगा।"*** के अनुसार किया जावे। इस योजनान्तर्गत कक्षा 10 के पंजीकृत विद्यार्थी यदि *RSCIT* प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु इच्छुक हैं तो उन्हें कक्षा 10 के पाठ्क्रम के साथ ही अतिरिक्त समय में कक्षा 9 के लिए निर्धारित पाठ्क्रम भी सशुल्क पूर्ण करना अनिवार्य है अतः समस्त विद्यालयों व आईटी ज्ञान केन्द्रों को इस संबंध में निर्देशित करावें ।

समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मा.) उक्तानुसार सघन मॉनिटरिंग कर जिले में *MoU* संख्या, पंजीकृत/पोर्टल पर फीड विद्यार्थियों की वास्तविक संख्या व शुल्क भुगतान की विद्यालय वार रिपोर्ट दिनांक 20 सितम्बर 2017 तक परिषद् मुख्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें।

(आनन्दी)
राज्य परियोजना निदेशक
दिनांक: / /2017

क्रमांक : रामाशिप/जय/Dig.Lit/Click/F-945/2017/

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा अभियान, बीकानेर।
3. प्रबंध निदेशक, आर.के.सी.एल., जयपुर।
4. समस्त एडीपीसी, रमसा को पालनार्थ ।
5. समस्त संस्था प्रधान को पालनार्थ।
6. रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक